

कार्यपालिक सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीत को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.), राजस्व व्यय (रा.व्य.) और पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2015–16 में समायोजित रा.व्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था। वैसे ही वर्ष 2013–14 में समायोजित रा.प्रा. एवं पूँ.व्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था।

कंडिका 1.1.1

राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम तथा चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घटा और स.रा.घ.उ. से बकाया ऋण के अनुपात, बजट अनुमान 2016–17 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

कंडिका 1.1.2

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घटा वर्ष 2012–17 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ और ₹ 6,281 करोड़ के बीच रहा, जो इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधन गतिशीलता

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 53,685 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 46,068 करोड़) से ₹ 7,617 करोड़ (16.53 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमानों (₹ 61,427 करोड़) से कम था।

राजस्व व्यय (₹ 48,165 करोड़) 2015–16 से ₹ 4,464 करोड़ (10.21 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 56,390 करोड़) से कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 9,471 करोड़) 2015–16 से ₹ 1,526 करोड़ (19.21 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 13,004 करोड़) से कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अन्तर कम हो।

कंडिका 1.1.3, 1.2.1, 1.6.1 एवं 1.6.2

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा और अनुशंसाओं का सारांशः

जेंडर बजट

महिलाओं के केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 25 योजनाओं के लिए ₹ 1,455.87 करोड़ रूपये के बजट प्रावधानों में से केवल ₹ 883.38 करोड़ (60.68 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय–समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें।

कंडिका 1.1.4

नवीन पेंशन योजना

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 के लिए योगदान के बकाया के साथ मार्च 2006 से कर्मचारियों से नवीन पेंशन योजना के योगदान की कटौती की शुरूआत हुई। वर्ष 2006–17 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,318.68 करोड़ के सापेक्ष राज्य शासन ने ₹ 1,294.70 करोड़ बकाया जमा किया जो ₹ 23.98 करोड़ कम था। राज्य शासन ने

एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को निधि के देरी हस्तांतरण पर ग्राहकों को देय ब्याज की देयता की गणना नहीं की।

31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹ 29.27 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342–117, से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 23.98 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 29.27 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 53.25 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई।

आगे, लोक लेखे में से देय ₹ 29.27 करोड़ 31 मार्च 2017 तक एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित होने हेतु लंबित था, लेकिन 30 जून 2017 तक ₹ 3.47 करोड़ लंबित रहा।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए। विभागीय अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जो समय पर नवीन पेंशन योजना के तहत योगदान स्थानांतरित करने में नाकाम रहते हैं।

कांडिका 1.6.3

लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2016–17 के दौरान सकल व्यय से विकास व्यय, आर्थिक व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। यद्यपि पूँजीगत व्यय का सकल व्यय से अनुपात, सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।

कांडिका 1.7.1

सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

हालांकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश के विपरीत कोई सिंचाई योजना वाणिज्यिक घोषित नहीं की गई फिर भी लागत वसूली में अन्तर (-88 प्रतिशत) पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत) झारखण्ड (आठ प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत) से अच्छा रहा।

अनुशंसा: राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत वसूली का आकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

कांडिका 1.8.1

अपूर्ण परियोजनायें

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 145 अपूर्ण परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 5,847.17 करोड़) में से आज तक, 48 परियोजनाओं में ₹ 2,435.03 करोड़ लागत से अधिक थे (जहाँ लागत को संशोधित किया गया) चूँकि राज्य शासन ने 97 अपूर्ण परियोजनाओं में लागत मूल्यांकन नहीं किया है, राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

अनुशंसा: लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

कांडिका 1.8.2

निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

वर्ष 2012–17 के दौरान राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अन्तर के कारण ₹ 1,163.34 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

यह भी कि, विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार और दिये गये ऋण के बीच के अन्तर के कारण ₹ 130.43 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियों पर भुगतान करती है।

कांडिका 1.8.3 एवं 1.8.4

राज्य आपदा राहत निधि (रा.आ.रा.नि.)

मार्च 2017 तक रा.आ.रा.नि. में ₹ 693.20 करोड़ का अंतिम शेष था जो मार्गदर्शिका के अनुसार निवेश नहीं हुआ। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओवरड्रॅफट ब्याज दरों के आधार पर दिशानिर्देशों के विपरीत, यह अनुमान लगाया गया था कि अनुमानित ब्याज पर राज्य शासन की देयता 2010 से ₹ 225.87 करोड़ और केवल वर्ष 2016–17 में ₹ 31.43 करोड़ थी, जो राजस्व आधिक्य को बढ़ा तथा राजकोषीय घाटे को संबंधित वर्षों तक कम किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा राहत निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

कांडिका 1.9.4

अधोसंरचना विकास निधि (अ.वि.नि.)

वर्ष 2005–06 से 2016–17 के दौरान, सरकार ने अधोसंरचना विकास उपकर (अ.वि.उ.) के तहत ₹ 727.63 करोड़ एकत्र किए, जिनमें से केवल ₹ 423.39 करोड़ (58 प्रतिशत) अ.वि.नि. में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अ.वि.नि. में स्थानांतरित शेष राशि 31 मार्च 2017 तक उपयोग नहीं की गई थी। ₹ 304.24 करोड़ के गेर हस्तांतरण ने राज्य शासन की देयता में वृद्धि की है और राजस्व आधिक्य बढ़ा दिया है और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा को कम किया है।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारभूत संरचना विकास उपकर अधोसंरचना विकास निधि में नियमित रूप से स्थानांतरित एवं अधिनियम के प्रावधानुसार उपयोग हो।

कांडिका 1.9.6

प्रत्याभूतियों की स्थिति—आकस्मिक दायित्व

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति विमोचन निधि (प्र.वि.नि.) गठित करना था। तदनुसार, राज्य शासन को प्र.वि.नि. गठन करने और वर्ष 2005–06 से 2016–17 तक निधि में ₹ 112.60 करोड़ स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जिनमें से ₹ 9.94 करोड़ केवल वर्ष 2016–17 से संबंधित थे। परन्तु राज्य

सरकार ने प्र.वि.नि. का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप राज्य शासन की देयता ₹ 112.60 करोड़ बढ़ी और राजस्व आधिक्य को बढ़ा दिया और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा को कम किया है।

अनुशंसा: बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार राज्य शासन को प्रत्यापूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिए।

कांडिका 1.9.7

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पण

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 24.62 प्रतिशत) रहा, जिसमें से ₹ 3,827.93 करोड़ (कुल बचत का 19.39 प्रतिशत) कालातीत हो गया। 31 मार्च 2017 को शेष बचत ₹ 15,715.95 करोड़ में से ₹ 15,894.65 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचतों को समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

कांडिका 2.1

अतिरेक व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2000–01 से 2016–17 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,257.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को, जैसे कि भारत के संविधान के अनुसार जरूरत है, राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा नियमित कराने में विफल रहा है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिसका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। जो विभागीय अधिकारी विधान मंडल के अनुमति से ज्यादा खर्च करते हैं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

कांडिका 2.2.1

बचत

कुल बचत ₹ 19,743.88 करोड़ के विरुद्ध 29 अनुदानों और एक विनियोग के तहत 37 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक ₹ 17,337.73 करोड़ (कुल बचत का 87.81 प्रतिशत) का बचत हुआ।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 41 अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत 52 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत बचत थी। आठ प्रकरणों के प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की सतत बचत हुई थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो सके।

कांडिका 2.2.4 एवं 2.2.5

व्यय की अतिवेग

वर्ष 2016–17 की अंतिम तिमाही के दौरान 39 मुख्य शीर्षों में ₹ 5,569.91 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 8,756.54 करोड़ का 64 प्रतिशत है।

इसका कुल व्यय ₹ 2776.67 करोड़ (कुल व्यय का 32 प्रतिशत) वर्ष 2017 के मार्च माह में हुआ जो कि बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियन्त्रित करना चाहिए।

कांडिका 2.2.12

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा जून 2016 में आकस्मिकता निधि से ₹ 2.09 करोड़ पर्यटन विभाग के व्यय को पूरा करने हेतु आहरित किया, जो कि न ही अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति की थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के अलावा आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम आहरित न की जाये, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है।

कांडिका 2.3

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

31 मार्च 2017 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा आहरित अनुदान देयकों के विरुद्ध राशि ₹ 5,016.79 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प) लंबित थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को दैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. जमा नहीं करते हैं, के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

कांडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

तेरह कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.ज.) के लेखे एक से पाँच वर्षों तक लंबित थे। इसके बावजूद, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 तक आठ कार्यशील सा.क्षे.ज. को ₹ 7,707.17 करोड़ का बजटीय समर्थन [इक्विटी: ₹ 490 करोड़ (एक सा.क्षे.ज.), प्रत्याभूति: ₹ 3,401.30 करोड़ (तीन सा.क्षे.ज.), अनुदान: ₹ 570.82 करोड़ (तीन सा.क्षे.ज.)] तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदान: ₹ 3,236.05 करोड़ (छ: सा.क्षे.ज.)] प्रदान किया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.ज. के प्रकरणों में जहाँ लेखे बकाया है की समीक्षा करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर लेखें अद्यतन और उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन को अवरुद्ध करना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया है।

कांडिका 3.2

सा.क्षे.ज. द्वारा लाभांश का घोषित ना होना

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.ज. को सरकार द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार ₹ 6,146.97 करोड़ की सरकारी इक्विटी

वाले ₹ 74.43 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। वर्ष 2016–17 के दौरान केवल एक सा.क्षे.उ. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने लाभांश ₹ 0.87 करोड़ प्रस्तावित किया जो कि लाभ ₹ 8.75 करोड़ का 9.94 प्रतिशत है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश पाने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।

कांडिका 3.2.1

लंबित विस्तृत देयक

संक्षिप्त आकास्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकास्मिक देयक राशि ₹ 25.19 करोड़ मार्च 2017 के अन्त तक लंबित थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में संक्षिप्त आकास्मिक देयकों का समायोजन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस निर्देश को अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें।

कांडिका 3.3

उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 का उल्लंघन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2016–17 के बजट में महालेखाकार के परामर्श के बिना राजस्व तथा पूँजीगत शीर्षों के अधीन 57 नवीन उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष प्रारंभ किया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को लधु शीर्ष के अंतर्गत नवीन उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष महालेखाकार के परामर्श उपरांत प्रारंभ करना चाहिए।

कांडिका 3.6

लधु शीर्ष—800 में दर्ज किया जाना

छत्तीसगढ़ शासन ने दुर्लभ संचालित लधु शीर्ष—800 की नियमित रूप से संचालन किया। वर्ष 2016–17 के दौरान लधु शीर्ष में ₹ 2,290.09 करोड़ का प्राप्ति दर्ज हुआ फलस्वरूप लेनेदेनों की अस्पष्टता प्रदर्शित हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लधु शीर्ष—800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करें एवं यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

कांडिका 3.7

शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

वर्ष 2011–16 के दौरान, कोषालय से आहरित कर अनियमित रूप से ₹ 36.00 करोड़ को शासकीय लेखे बाहर रखा गया।

अनुशंसा: शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।

कांडिका 3.8.1

राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवंबर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 669.75 करोड़, पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,755.20 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 2,176 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसा: दोनों अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूँजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के संविभाजन की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।

कांडिका 3.11

राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 1,509.67 करोड़ अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 30.79 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

प्रतिवेदन के विभिन्न स्थानों में चर्चानुसार, लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित, व्यय तथा राजस्व का त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि/लेखांकन के कारण राजस्व आधिक्य में ₹ 1,656.47 करोड़ का अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 46.01 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है। राज्य का दायित्व में भी ₹ 2,650.96 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

कांडिका 3.13